कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्ता सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक 5283 / ग्रा० अ० से० / कार्य-1 / निर्देश / 85 दिनांक : लखनऊ अक्टूबर 1, 1985

विषय : सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यों की चेकिंग (सत्यापन)

समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश ।

उपरोक्त विषयक विभाग में ठेकेदारों के माध्यम से जो कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं उसमें सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता के स्तर से मापों की चेकिंग कराने का प्राविधान निर्धारित किया गया है। यह प्राविधान सहायक अभियन्ता के लिए 10 प्रतिशत तथा अधिशासी अभियन्ता के लिये 2 प्रतिशत निर्धारित है।

इस समय एन० आर० ई० पी० एवं आर० एल० ई० जी० पी० योजना के अन्तर्गत विभागीय आधार पर कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं जिसमें विभागीय अधिकारियों अथवा कर्मचारियों का बहुत अधिक उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को हमें निभाने के लिये कार्य करते समय उसकी चेकिंग कराना आवश्यक होता, ताकि कार्य पूर्ण होने के बाद किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। इस प्रकार के कार्यों में हम ठेकेदारों से भी किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते हैं। विभागीय आधार पर कराये जा रहे कार्यों के लिये कार्य की माप की चेकिंग सहायक अभियन्ता के लिये 20 प्रतिशत तथा अधिशासी अभियन्ता के लिये 5 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाना है कि नींव में कंक्रीटिंग आदि जैसे कार्य (जिनकी चेकिंग बाद में सम्भव नहीं है) की चेकिंग/मापीकरण निर्माण के समय ही करा ली जाये। इस प्रकार के कार्यों का मापीकरण तथा चेकिंग करने के लिये आप अपने स्तर से सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता को निर्देशित कर दें।

ह० (एम० आर० सिद्दीकी)
मुख्य अभियन्ता

Scanned with CamScanner